न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14 / 2022 **दायर दिनांकः 16 / 12 / 2022**

रजि0 नं0—2022 / 334

उनवान

1. मंजू बेवा लक्ष्मीचन्द आयु 41 साल
2. अनिल पुत्र लक्ष्मीचन्द आयु 21 साल
3. सुनील पुत्र लक्ष्मीचन्द आयु 19 साल जाति माली निवासीगण ग्राम गोरडीजागीर ग्राम पंचायत ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज०

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत ननावता तहसील अटरू जिला बारा (राज0)।

रेस्पोडेन्ट्

अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 1407 दिनांक 20.10.2022 तस्दीक दिनांक 7.11.2022

ग्राम पंचायत ननावता

उपस्थिति :—
अपीलांटस :—विद्वान अभिभाषक श्री बृजराजसिंह

निर्णय

दिनाकः 16 / 05 / 2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प ननावता में पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस उपस्थित। रेस्पोडेंट उपस्थित। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील ग्राम पंचायत ननावता के नामान्तरण आदेश 1407 दिनांक 7.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई जिसे न्यायालय द्वारा दर्ज रजि0 किया गया।

2. इस अपील के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम गोरडी जागीर पटवार मण्डल ननावता तहसील अटरू मे आराजियात खाता संख्या 76 में अपीलान्ट कम 1 के पति एंव कम 2 व 3 के पिता लक्ष्मीचन्द एंव सीताबाई पुत्री लटूर की खातेदारी में दर्ज थी

जिसमे खातेदार सीताबाई पुत्री लटूरलाल का 1/4 एवं लक्ष्मीचन्द का 1/4 हक हिस्सा निहीत था। किन्तू खातेदारा सीताबाई ने अपने जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई भाई लक्ष्मीचन्द के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 24.7.2019 से अपने हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि का हक त्याग कर दिया किन्तू हक त्याग होने के पश्चात दिनांक 26.5.2022 को लक्ष्मीचन्द का स्वर्गवास हो गया इस कारण कार्यवाही नामान्तरण मे लक्ष्मीचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं हो सका और नामान्तरनकरण संख्या 1407 दिनांक 07.11.2022 को इस टिप्पणी के साथ कि दोनो पक्ष अनुपस्थित होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है, निरस्त कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है। सीताबाई उक्त खाते में दर्ज आराजी की 1/4 हिस्से की स्वतंत्र खातेदारा थी जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से का हक तर्क नामा अपने भाई के नाम निष्पादित करवाया था जिसके आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण लक्ष्मीचंद के नाम खुलना चाहिए था जिसे निरस्त कर भारी भूल की है। अपीलान्ट्स मृतक लक्ष्मीचन्द के विधिक एंव जायज वारिसान एंव उत्तराधिकारी है लक्ष्मीचन्द की मृत्यु हो जाने से उक्त रजिस्टर्ड हक तर्क नामा दिनांक 24.7.2019 के आधार पर उक्त सीताबाई द्वारा निष्पादित कराए गए रजि० हक त्याग नामा के आधार पर लक्ष्मीचन्द की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट्स के नाम इन्तकाल खोलना चाहिए था क्योकि अपीलान्ट्स ही मृतक लक्ष्मीचन्द के एकमात्र विधिक वारिसान है। उक्त नामान्तरकरण की अपीलान्ट्स को जानकारी नही थी। हल्का पटवारी से उक्त नामान्तरकरण हेतु 5.12.2022 को जानकारी की तो पता चला कि उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया है इस पर अपीलान्ट्स ने दिनांक 6.12.22 को नकल हेतु आवेदन किया और 6.12.22 को नकल इन्तकाल प्राप्त होने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रथक से आवेदन पेश है। अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किए जावेगे। न्यायालय श्रीमान को अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपील उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इन्तकाल नंबर 1407 दिनांक 20.10.2022 तस्दीक दिनांक 7.11.22 ग्राम पंचायत ननावता को निरस्त कर लक्ष्मीचन्द के वारिसान के नाम इन्तकाल खोले जाने के आदेश प्रदान करे।

3. . अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट स्वयं कोर्ट केम्प में उपस्थित लेकिन जवाब अपील पेश नहीं करने के कारण मुताबिक आदेशिका दिनांक 16.05.2023 कैम्प कोर्ट ननावता में जवाब अपील बन्द किया गया।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/नोनअपीलांट ग्राम पंचायत ननावता द्वारा रजि0 हकत्याग दिनांक 24.07.2019 के आधार पर इंतकाल तस्दीक न करके इस आशय की टिप्पणी के साथ ''**कि दोनों पक्ष उपस्थित नहीं है**'', बिना मैरिट के नामान्तरण खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई।

5. अपीलांटस द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम गोरडी जागीर के नामान्तरण संख्या 1407 दिनांक 07.11.2022 की सत्य प्रतिलिपी, रजि0 हकत्यागनामा दिनांक 24.07.2019, हकत्याग कर्ता सीताबाई का सहमति पत्र की प्रति पेश किये गये।

6. अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोरेडी जागीर तहसील अटरू मे आराजियात हाल खाता संख्या 76 ख0नं0 792 रकबा 0.65 हेक्टयर में सहखातेदार सीताबाई द्वारा अपने दर्ज हिस्से 1/4 का अपने सगे भाई अपीलांटस के पति/पिता लक्ष्मीचन्द के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 24.07.2019 से हकत्याग कर किया है। अपीलान्टस ने रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत ननावता को आवेदन प्रस्तुत कर आराजी पर उक्त पंजिकृत हकत्याग पत्र के आधार पर अपने पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने हेतु निवेदन किया था। किन्तु रेस्पोडेट/ग्राम पंचायत ननावता द्वारा बिना किसी मेरिट के केवल इस टिप्पणी के साथ ''कि दोनो पक्ष अनुपस्थित होने के कारण'' नामान्तरण संख्या 1407 दिनांक 07.11.2022 खारिज कर दिया गया जबकि रेस्पोडेट ग्राम पंचायत को रजि0 दस्तावेज के आधार पर इंतकाल खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। रजि0 हकत्याग पत्र को अवैध घोषित करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय के पास है। यदि रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत को रजि0 हकत्याग पत्र में कोई कानूनी संदेह था तो नामान्तरण खारिज करने के बजाया धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन तहसीलदार अटरू को स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था। लेकिन ग्राम पंचायत ननावता के सरपंच द्वारा अपीलार्थी से व्यक्तिगत व चुनावी दुश्मनी रखते हुऐ बिना मेरिट के जानबूझकर इंतकाल खारिज किया गया।

7. अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह भी तर्क किया गया कि दिनांक 07.11.2022 को कानूनी रूप से ग्राम पंचायत ननावता में कोरम की बैठक का न तो कोई आयोजन हुआ और न ही कोई कोरम सदस्य उपस्थित हुआ। ग्राम पंचायत ननावता के द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के

प्रावधानों के अनुसार न ही 07.11.2022 की कोरम बैठक की 7 दिवस पूर्व वार्ड पंच व अन्य सदस्यों को लिखित सूचना दी गई। सरपंच ग्प्रम पंचायत ननावता द्वारा सभी कोरमों का आयोजन पंचायती राज अधिनियमों के विरूद्ध अपने घर नयागांव किया जाता है और बैक डेट में कुछेक कोरम सदस्यों को बुलाकर हस्ताक्षर करा लिये जाते है। अतः दिनांक 07.11.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना कोरम की बैठक बुलाये नामान्तरण खारिज किया गया था।

8. ग्राम पंचायत ननावता की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.11.2022 को पंचायतीराज नियमों के अनुसार ही कोरम बैठक का आयोजन किया था और कोरम द्वारा अपीलार्थी व हकत्यागकर्ता के कोरम के समक्ष उपस्थित नहीं होने से नामान्तरण संख्या 1407 खारिज किया गया था। कोरम के बुलाये जाने पर हकत्यागकर्ता सीताबाई व हकत्याग ग्राहिता लक्ष्मीचन्द को कोरम के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था। यदि मेरिट के आधार पर न्यायालय इंतकाल खोलना उचित समझती है तो ग्राम पंचायत ननावता को कोई आपत्ति नहीं है।

9. अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पेश रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 24.07.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार व हकत्यागकर्ता सीताबाई द्वारा ग्राम गोरडी की आराजी खाता संख्या 78 ख0नं0 792 रकबा 0.65 है0 शामलाती आराजी में अपने हिस्से 1/4 का अपने भाई व सहखातेदार लक्ष्मीचन्द के पक्ष में हकत्याग किया गया है। ग्राम गोरडी जागीर की हाल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी में हकत्यागकर्ता सीताबाई पुत्री लटूरलाल 1/4 हिस्से की सहखातेदार दर्ज है। पत्रावली पर रेस्पोडेंट द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जो यह साबित करता हो कि उक्त रजि0 हकत्याग को किसी सक्षम न्यायालय से खारिज किया गया हो। हकत्याग कर्ता सीताबाई पुत्री लटूर द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प ननावता दिनांक 16.05.2023 में स्वयं उपस्थित होकर यह स्वीकार किया है कि उसने बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये अपने भाई लक्ष्मीचन्द पुत्र लटूर जाति माली के पक्ष में रजि0 हक त्याग दिनांक 24.07.2019 को निष्पादित करवाया था। अतः यह तथ्य निर्विवादित है कि पेश रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 24.07.2019 संदेह से परे है। यह एक स्थापित तथ्य है कि पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 39 से 46 के प्रावधानों के अनुसार रजि0 दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करते समय कोरम के समक्ष पक्षकारों

का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा न तो दिनांक 07.11.2022 को आयोजित कोरम की बैठक की नोटिस/सूचना अन्तर्गत नियम 40 पंचायतीराज नियम 1996 का साक्ष्य पेश किया और न ही नियम 44 अन्तर्गत बैठक कार्यवाही के कार्यवृत का दस्तावेज पेश किया है। यदि ग्राम पंचायत को किसी कानूनी बिन्दु के आधार पर इस रजि0 हकत्याग पत्र पर कोई संदेह था तो प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार अटरू के समक्ष स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था लेकिन मेरिट को ध्यान में न रखकर सिर्फ कोरम के समक्ष पक्षकारों की अनुपस्थिति के आधार पर इंतकाल खारिज किया जाना विधि विरूद्ध है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट नामान्तरण आदेश संख्या 1407 दिनांक 07.11.2022 स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं रजि0 हकत्याग दिनांक 24.07.2019 के आधार पर अपीलान्टस की अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। रेस्पोडेंट द्वारा नामान्तरण संख्या 1407 दिनांक 07.11.2022 की कार्यवाही को अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम गोरडी जागीर की आराजी खाता संख्या 76 ख0नं0 792 रकबा 0.65 है0 के 1/4 भाग पर रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 24.07.2019 के आधार पर लक्ष्मीचन्द पुत्र लटूरलाल माली के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। लक्ष्मीचन्द के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक होने के बाद अपीलांट के पक्ष में विरासत का इन्तकाल तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां